Class - B.A- I (Pol. science honours)
Paper- I

Name of the Guest Teacher - Khushbu kumari
Dept. of political science,
V.S.J. college, Rajnagar, Madhubani, Bihar

Lecture - 1 Topic - औचित्यपूर्णता (Legitimacy)

औचित्यपूर्णता की धारणा अत्यंत ही प्राचीन है, लेकिन वर्तमान समय में इसने नये अर्थ प्राप्त कर लिये हैं। संस्कृति एवं सभ्यता तथा राजनीतिक विकास के साथ - साथ मानवीय जीवन और व्यवहार में दमनात्मक शक्ति सम्बन्धों की भूमिका कम होती जा रही है और शक्ति के अदमनात्मक तत्वों जैसे - प्रभाव, सत्ता और नेतृत्व की भूमिका निरन्तर बढ़ती जा रही है। शक्ति के दमनात्मक और अदमनात्मक दोनों ही श्रेणी के तत्वों पर यह बात समान रूप से लागू होती है कि जब वे वैधता या औचित्यपूर्णता के साथ जुड़ जाते हैं तो उनकी शक्ति और प्रभाव बहुत बढ़ जाता है, लेकिन जब उन्हें औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त नहीं होती ; तब मानवीय व्यवहार को प्रभावित करने के सम्बन्ध में उनकी सीमाएँ बहुत अधिक बढ़ जाती हैं। शक्ति, प्रभाव और सत्ता - औचित्यपूर्णता की स्थिति प्राप्त करके ही प्रभावशाली और दूसरों के व्यवहार को परिवर्तित करने में सफल होते हैं।

Scanned with CamScanner

औचित्यपूर्णता : अवधारणा का विकास

औचित्यपूर्णता शब्द अंग्रेजी के Legitimacy का हिन्दी रूपान्तर है। Legitimacy शब्द की व्युत्पत्ति लैटिन भाषा के 'Legitumus' से हुई है और मध्यकाल में इसे 'Legitimitas' या मांगल भाषा में 'Lawful' अर्थात् 'वैधानिक' कहा गया।

प्लेटो ने न्याय भावना के अन्तर्गत औचित्यपूर्णता का बीजारोपण कर दिया था। उनके अनुसार प्रत्येक शासन का सुदृढ़ एवं आधार होना चाहिए तथा इसकी जड़ें नैतिक मूल्यों, दीर्घकालीन विश्वासों और सामान्य स्वीकृति की गहराई में गयी हुई होनी चाहिए। अरस्तू ने कानून - सम्मत शासन के रूप में इस अवधारणा का चित्रण किया है। सिसरो ने 'Legitimum' शब्द का प्रयोग 'विधि द्वारा गठित शक्तियों या न्यायाधीशों' के लिए किया है। अरस्तू से तर्क ग्रहण करते हुए मार्सीलियो ऑफ पेडुआ ने इस शब्द की धर्मशास्त्रीय व्याख्या के स्थान पर संवैधानिक व्याख्या प्रस्तुत की। लॉक ने सहमति एवं समझौते की धारणा के माध्यम से इस विचार का दृढ़ समर्थन किया।

आधुनिक युग में पहली बार इसका प्रतिपादन मैक्स वेबर द्वारा किया गया। उसने औचित्यपूर्णता के तीन आधार बतलाये हैं:— परम्परागत, बौद्धिक-कानूनी और करिश्मात्मक।

Scanned with CamScanner

औचित्यपूर्णता : अर्थ एवं परिभाषा

औचित्यपूर्णता एक ऐसी स्थिति का नाम है जिसके अन्तर्गत एक राजनीतिक व्यवस्था के सामान्य जन को यह विश्वास होता है कि सत्ता धारक की सत्ता और उसका प्रयोग सामान्य स्वीकृत नियमों और क्रियाविधियों पर आधारित है।

औचित्यपूर्णता की कुछ परिभाषाएं इस प्रकार है –

एस. एम. लिपसेट के अनुसार, "औचित्यपूर्णता का अभिप्राय व्यवस्था की उस योग्यता और क्षमता से है जिसके द्वारा यह विश्वास उत्पन्न किया और स्थिर रखा जाता है कि वर्तमान राजनीतिक संस्थाएँ समाज हेतु सर्वाधिक समुचित हैं।"

जीन ब्लोण्डेल के अनुसार," औचित्यपूर्णता से अभिप्राय वह सीमा है जिस सीमा तक लोग उस संगठन को, जिससे वह सम्बन्धित हैं, बिना पूछताछ के तथा स्वाभाविक रूप में ही स्वीकार करते हैं – सहमति या स्वीकृति का क्षेत्र जितना विशाल होगा, उस संगठन का उतना ही अधिक औचित्य होगा।"

औचित्यपूर्णता की उपर्युक्त परिभाषाओं से यह स्पष्ट है कि औचित्यपूर्णता का अर्थ उस सहमति या स्वीकृति से है जो लोगों द्वारा राजनीतिक व्यवस्था के सम्बन्ध में दी जाती है। यदि किसी राजनीतिक व्यवस्था या किसी संस्था को

Scanned with CamScanner

लोगों की ऐसी स्वीकृति प्राप्त नहीं होती, तो उस व्यवस्था में वैधता की कमी हो जाती है और ऐसी व्यवस्था अधिकांश समय तक अस्तित्व में नहीं रह सकती।

औचित्यपूर्णता की विशेषताएँ

औचित्यपूर्णता की कुछ मुख्य विशेषताएँ निम्नलिखित हैं:—

(1) किसी राजनीतिक व्यवस्था का औचित्य इस बात पर निर्भर करता है कि वहाँ के लोग अपने विश्वासों के आधार पर उस प्रणाली को किस सीमा तक वैध समझते हैं। यदि कुछ व्यक्तियों ने अपने संकुचित हितों को सामने रखकर रक्त क्रान्ति या अन्य किसी अवैधानिक साधन द्वारा शासन शक्ति को अपने हाथ में ले लिया है, तो ऐसे व्यक्तियों की शक्ति को लोगों की स्वाभाविक स्वीकृति प्राप्त नहीं हो सकती। परन्तु सम्भव है कि कुछ समय पश्चात् लोग यह स्वीकार करने लगें कि नयी सरकार उनके हितों के अनुकूल है। यदि लोगों में ऐसा विश्वास उत्पन्न हो जाये तो उस राजनीतिक व्यवस्था को वैधता प्राप्त हो जाती है।

(2) प्रो. लिपसेट का कथन है कि किसी राजनीतिक व्यवस्था की स्थिरता और उसकी वैधता, उसकी प्रभावकता पर निर्भर है। "वैधता की स्थिति प्राप्त करने के लिए जरूरी है कि राजनीतिक व्यवस्था केवल कहने भर के लिए ही नहीं हो, वरन उसके द्वारा नागरिकों के जीवन पर आवश्यक प्रभावी नियन्त्रण रखा जा सके।

Scanned with CamScanner

(3) किसी व्यवस्था को लोगों की स्वाभाविक या ऐच्छिक सहमति या वैधता तभी प्राप्त होती है जब वह देश की सर्वसामान्य जनता के मूल्यों और विश्वासों पर आधारित हो।

(4) वैधता शक्ति को सत्ता में परिवर्तित करने का गुण है। इसका अर्थ यह हुआ कि शक्ति को सत्ता की स्थिति तभी प्राप्त होती है जबकि उसने जनसामान्य की दृष्टि में वैधता को प्राप्त कर लिया हो।

(5) किसी व्यवस्था की वैधता कुछ-एक विशेष व्यक्तियों की सहमति पर नहीं, वरन् विशाल सामाजिक सहमति पर निर्भर होती है।

Scanned with CamScanner